

सारण समाहरणालय, छपरा
(जिला योजना कार्यालय)

आदेश

प्रधान सचिव योजना एवं विकास विभाग बिहार पटना के पत्रांक 3392 दिनांक 10/11/11के आलोक मुख्य मंत्री क्षेत्र विकास योजना का दिनांक 9/10/13 को माननीय मंत्री गन्ना उद्योग एवं लघु जल संसाधन विभाग बिहार सह जिला प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित जिला चयन समिति की बैठक में अनुमोदनों पश्चात कार्यपालक अभियंता विद्युत कार्य प्रमण्डल छपरा पश्चिमी के पत्रांक 333 दिनांक 28/02/14 एवं पत्रांक 334 दिनांक 28/02/14 तथा पत्रांक 373 दिनांक 8/03/14 द्वारा निम्नांकित योजनाओं के उपलब्ध कराये गये प्राक्कलनों में राक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति की राशि के आधार पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

इसके कार्यान्वयन का दायित्व विद्युत कार्यपालक अभियंता विद्युत कार्य प्रमण्डल छपरा पश्चिमी का सौंपा जाता है। प्रधान सचिव योजना विकास विभाग बिहार के पत्रांक 4973 दिनांक 25/11/2013 के आलोक में कार्यपालक अभियंता LAEO-1 छपरा को निदेश दिया जाता है कि इस योजना के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ 6 में अंकित राशि की विमुक्ति हेतु मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना मद से विमुक्त राशि का चेक / RTGS के माध्यम से नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड पटना के पदनाम से खाता स0-0352101042061 IFSC CODE- CNRB 0000352 KENRA BANK SOUTH GANDHI MAIDAN BRANCH, PATNA मे निर्गत करने हेतु आवश्यक कारवाई सुनिश्चित किया जाय।

क्र०	चयनित क्र०	प्रखंड का नाम	स्वीकृति योजनाओं का नाम	तकनीकी स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	विमुक्ति राशि 80%	माननीय सदस्य का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7	मोंडी	ग्राम बतराहा में 63 के०वी०ए० का ट्रांसफरर्मर अधिष्ठापन कार्य।	294373	294373	235400	श्री गौतम सिंह
2	55	„	ग्राम करैलिया में 63 के०वी०ए० का ट्रांसफरर्मर अधिष्ठापन कार्य।	101849	101849	81400	„
3	8	„	ग्राम बड़की मणिपुर में 16 के०वी०ए० की जगह 63 के०वी०ए० का ट्रांसफरर्मर अधिष्ठापन कार्य।	287164	287164	229700	„
4	22	जलालपुर	ग्राम पियोना उत्तर टोला में 25 के०वी०ए० के जगह पर 63 के०वी०ए० का ट्रांसफरर्मर अधिष्ठापन कार्य।	101849	101849	81400	„
5	5	मोंडी	ग्राम नवलपुर पुरब टोला में विद्युतीकरण एवं 63 के०वी०ए० का ट्रांसफरर्मर अधिष्ठापन कार्य।	369299	369299	295400	„
6	11	जलालपुर	ग्राम सबरी मठ में 16 के०वी०ए० की जगह 100 के०वी०ए० का ट्रांसफरर्मर अधिष्ठापन कार्य।	276689	276689	221300	„
7	12	„	ग्राम सबरी बरखीजी में 16 के०वी०ए० की जगह 100 के०वी०ए० का ट्रांसफरर्मर अधिष्ठापन कार्य।	329993	329993	263900	„
			कुल योग :-	1761216	1761216	1408500	

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि (सतरह लाख एकसठ हजार दो सौ सोलह रुपये मात्र)

विमुक्त राशि (चौदह लाख आठ हजार पाँच रुपये मात्र)

कार्यकारी एजेन्सी का नाम :- इन स्वीकृत योजनाओं का कार्य विद्युत कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल छपरा पश्चिमी द्वारा योजना एवं विकास विभाग पत्रांक 3757 दिनांक 2/09/13 के आलोक में स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार के द्वारा निविदा आमंत्रित कर योजनाओं का कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित किया जाय।

1. कार्यान्वयन की शर्त :-योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संतुष्ट हो लगे कि स्थल विवादग्रस्त नहीं है, तथा किसी की निजी जमीन योजना स्थल के बीच में नहीं पड़ती है। योजना कार्य के किसी भी वजह से अवरुद्ध होने की स्थिति में सारी जवाबदेही आपकी होगी। संबंधित अंचलधिकारी से भूमि प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् ही योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जाय।

2. योजनाओं के प्राक्कलन का पुनरीक्षण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।
3. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कंडिकावार विशिष्टियों के अनुरूप योजना-कार्य सम्पादित किया जाय।
4. योजना के कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी या त्रुटि पाए जाने पर सारी जवाबदेही आपकी होगी।
5. योजना स्थल पर योजना से संबंधित पूर्ण विवरणी अंकित करते हुए योजना पट्ट लगाना सुनिश्चित करे।
6. योजना स्थल पर स्वीकृत प्राक्कलन की एक प्रति रखा जाना आवश्यक है।
7. योजना स्थल पर योजना प्रारंभ करने के पूर्व, कार्यान्वयन अवधि में एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटो ग्राफी/विडियो ग्राफी की प्रति योजना कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
8. योजना पूर्ण होने पर प्रारंभ करने की तिथि तथा पूर्ण होने की तिथि के साथ पूर्णता/उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजा जाए, ताकि इन नवसृजित योजनाओं का भविष्य में रख रखाव हेतु संबंधित प्रशासी विभाग को स्थानांतरित किया जा सके।
9. योजना का कार्य तीन माह में निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाय।
10. योजना कार्य प्रारंभ करने के पूर्ण संबंधित अंचलधिकारी से भूमि संबंधी स्पष्ट प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर ले। यदि योजना स्थल में किसी की रैयाती भूमि अवस्थित हो तो भू-दाता के द्वारा उसे महामहिम राज्यपाल के नाम से निबंधित करने के पश्चात् ही योजना कार्य प्रारंभ करे। अन्यथा किसी भी प्रकार अनियमितता की सारी जबाबदेही संबंधित कार्य एजेन्सी की होगी।
11. प्रत्येक माह के 2री तारीख तक निश्चित रूप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला योजना कार्यालय सारण, छपरा को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

20
जिला योजना पदाधिकारी
सारण, छपरा।

झापांक.....275/यो0 दिनांक.....22-5-14

- प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति कार्य प्रमण्डल छपरा पश्चिमी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- M.D North Bihar power Distribution company Limited Patna को सूचनार्थ एवं निदेश है कि उक्त विमुक्त राशि EE LAEO-1 छपरा से प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाय।
- प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमण्डल -1 छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित करते हुए निर्देशित किया जाता है, कि उक्त मद में प्राप्त आवंटन से राशि विमुक्त करने हेतु नियमानुसार आवश्यक कारवाई सुनिश्चित करेंगे।
- प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग बिहार पटना की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित/क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी सारण प्रमण्डल छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी सारण छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित/आई0 टी0 मैनेजर एन0 आई0 सी सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे/संबंधित अंचलधिकारी जिला सारण को सूचनार्थ एवं निदेश है। कि उपरोक्त योजनाओं का जमीन प्रतिवेदन कार्य एजेन्सी को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
- प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी सारण, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित/माननीय सदस्य को सूचनार्थ प्रेषित।

E. Prasad
जिला योजना पदाधिकारी
सारण, छपरा।